भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. **+185**

सोमवार, **18** नवम्बर, 2019/**27** कार्तिक, 1941 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में रैंकिंग

+185. श्री रेबती त्रिपुराः

श्रीमती संध्या रायः

श्री विजय कुमार दूबेः

श्री धनुष एम॰ कुमारः

श्री जी॰ सेल्वमः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2013 में भारत की रैंकिंग में गत पांच वर्षों के दौरान काफी सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा भारत की पर्यटन प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए विशेषकर अवसंरचना और प्रतिबंधात्मक वीजा नीति के बारे में किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या सफलता प्राप्त की है; और

(ङ) देश में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल)

(क) और (ख) : जी हां। वर्ष **2013** से भारत की यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता इंडेक्स रैंकिंग निम्नानुसार है:-

वर्ष	**2013**	**2015**	**2017**	**2019**
रैंक	**65**	**52**	**40**	**34**

यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में सुधार देश में पर्यटन क्षेत्र के लिए उत्साहजनक है।

(ग): अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए देश में पर्यटन अवसंरचना के सृजन हेतु पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अन्य के साथ साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i) दो प्रमुख योजनाओ की शुरूआत: स्वदेश दर्शन- थीम आधारित पर्यटक परिपथों का एकीकृत विकास और प्रशाद- तीर्थ स्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान। योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं की पहचान राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से की जाती है और निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की प्रस्तुति, योजना दिशा निर्देशों के अनुपालन और पूर्व में जारी निधियों की उपयोगिता की शर्त पर इन्हें स्वीकृति दी जाती है।

ii) वर्ष **2018- 19** की बजट घोषणाओं के अनुपालन में इस मंत्रालय ने देश में विकास हेतु प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों के रूप में **12** क्लस्टरों में **17** स्थानों को अभिज्ञात किया है।

iii) पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राज्य/ संघ सरकारों के संयुक्त प्रयास, 'एक विरासत को अपनाएं: अपनी धरोहर, अपनी पहचान' में पर्यटन क्षमता एवं सांस्कृतिक महत्व का एक नियोजित एवं चरणबद्ध रूप से संवर्धन करने के लिए विरासत स्थलों के विकास एवं उन्हें पर्यटक अनुकूल बनाने की परिकल्पना की गई है।

iv) देश में पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए यह मंत्रालय केंद्रीय एजेंसियों को सहायता प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय नियमित रूप से गृह मंत्रालय के संपर्क में रहता है जिसके परिणाम स्वरूप गृह मंत्रालय ने मणिपुर, मिजोरम तथा नागालैंड और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के **29** द्वीपों के लिए संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी) /प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) में आगे और **5** वर्ष अर्थात **31.12.2022** तक के लिए छूट दी है।

(घ) : हितधारकों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणाम स्वरूप देश में पिछले कुछ वर्षों में पर्यटक आगमन में वृद्धि हुई है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

	2016	**2017**	**2018 (**संशोधित)
घरेलू पर्यटक आगमन (मिलियन)	1615.4	1657.6	1854.9
विदेशी पर्यटक आगमन (मिलियन)	24.7	26.9	28.9

(ड) : पर्यटन मंत्रालय एक सम्पर्ण गंतव्य के रूप में भारत का संवर्धन करता है और अपने चल रहे कार्यकलापों के एक भाग के रूप में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा त्रिपुरा राज्य सहित देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न पर्यटक गंतव्यों एवं उत्पादों का संवर्धन करता है। विज्ञापन के अतिरिक्त मंत्रालय की वेबसाइट तथा सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से भी संवर्धन कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत तथा विदेशों में स्थित भारत पर्यटन कार्यालय विभिन्न राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों की पर्यटन संभावना के प्रदर्शन के उद्देश्य से अनेक संवर्धनात्मक कार्यकलाप करते है।

******